सं0सं0–7 / सदर–24–01 / 2012– 63(7)ब

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

संबंधित सिविल सर्जन (संलग्न विवरणी के अनुसार)
अधीक्षक, एम0जे0के0 अस्पताल, बेतिया ।
अधीक्षक, प्रभावती अस्पताल, गया ।

पटना, दिनांक : 21 – 11 – 2012

विषयः– मांग संख्या–20 अन्तर्गत मुख्य व्यय शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–110–अस्पताल तथा औषधालय–0013–सदर एवं अनुमंडल अस्पताल उपशीर्ष विपत्र कोड– N2210011100013 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–2013 में विभिन्न प्राथमिक ईकाईयों में कुल ₹22,79,42,970/– (बाईस करोड उन्नासी लाख बेयालीस हजार नौ सौ सत्तर) मात्र का अतिरिक्त आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत आवंटनादेश संख्या–01(7)ब दिनांक–13.04.12, 24(7)ब दिनांक–21.5.12, 35(7)ब दिनांक–30.7.12 एवं 39(7)ब दिनांक–06.09.12 तथा मांग पत्रों के आलोक में संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2012–2013 में विभिन्न प्राथमिक ईकाईयों में कुल ₹22,79,42,970/– (बाईस करोड उन्नासी लाख बेयालीस हजार नौ सौ सत्तर) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है। (विवरणी संलग्न)

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98 एवं परिपत्र 2419 वि0(2) दिनांक 05.04.2007, 2398वि0(2) दिनांक–8.4.08 एवं वित्त विभागीय पत्रांक–3388वि0(2) दिनांक 18.4.11 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय ।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या–20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–110–अस्पताल तथा औषधालय–0013–सदर एवं अनुमंडल अस्पताल उपशीर्ष विपत्र कोड– N2210011100013 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–2013 में आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

4. दवा भंडार, सामग्री एवं पूर्तियॉ, मशीन एवं उपकरण, वाहन का ईंधन एवं रखरखाव एवं दूरभाष के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बंधित सिविल सर्जन / अधीक्षक, एम0जे0के0 अस्पताल, बेतिया, अधीक्षक, प्रभावती अस्पताल, गया तथा शेष इकाईयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित सदर अस्पताल के अधीक्षक एवं उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल एवं गर्दनीबाग अस्पताल, पटना/ निदेशक / प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, न्यू गार्डिनर रोड, पटना होंगे तथा सभी सभी के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे ।

5. संबंधित सिविल सर्जन को निदेश दिया जाता है कि आवंटित राशि को अपने अधिनस्थ सदर अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल एवं सदर प्रमंडलीय अस्पतालों में कार्यरत बल के आधार पर राशि का उपावंटन करेंगे तथा उसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे । इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी । इसकी पूरी जबावदेही संबंधित सिविल सर्जन की होगी । एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे।

6. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं । माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे । अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय उप निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे। सिविल सर्जन/क्षेत्रीय उप निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।

3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय उप निदेशाक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्त्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

7 स्वास्थ्य विभागीय सकल्प संख्या–1446(10) दिनाक–29.03.12 द्वारा पिलग्रीम अस्पताल, गया का नामकरण जय प्रकाश नारायण अस्पताल, गया एवं लेडी एलीगीन जनाना अस्पताल, गया का नामकरण प्रभावती अस्पताल, गया किये जाने के फलस्वरूप आवंटित राशि की निकासी उक्त नाम से की जायेगी ।

8. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग / स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृति बल के विरूद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे ।

10. क्रय सम्बंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक–96(9) दिनांक–18.02.99, 142(9) दिनांक– 15.03.2001, 241(9) दिनांक–21.05.2002 एवं 379(9) दिनाक–16.08.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.1.06 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायगा ।

11. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।

12. वाहन का ईंधन एवं रख–रखाव मद में आवंटित राशि से संधारण/मरम्मती आदि के लिए वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेश/परिपत्र का अक्षरशः अनुपालन करते हुए ही व्यय सुनिश्चित की जाय।

13. विद्युत विपत्र की राशि का भुगतान के क्रम में विपत्र पर यह भी प्रमाण पत्र अंकित किया जायगा कि इस विपत्र में किसी आवासीय परिसर के उपभोग में लाई गयी विद्युत की राशि सम्मिलित नहीं है।

14. व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ (28–01) इकाई के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित अस्पताल के अधीक्षक/उपाधीक्षक होंगे ।

15. संबंधित सिविल सर्जन अपने अधिनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्राप्त कर समेकित कर तथा सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।

16. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,

(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 6370

पटना, दिनांक : 21-11-12

प्रतिलिपि : महालेखाकार बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी /संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव/ स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार के सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी–7 एवं कार्यवाह सहायक /आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

विवरणी–I

वित्तीय वर्ष 2012–2013 में बिहार स्थित सदर अस्पताल/अनुमंडल अस्पताल/ सदर प्रमंडलीय अस्पतालों का वेतन भत्ता एवं अन्य मदों के लिए अतिरिक्त आवंटन

क्रम सं०	जिला का नाम	वेतन (01–01)	जीवन यापन भत्ता (01–03)	मकान भत्ता (01–04)	परिवहन भत्ता (01–05)	चिकित्सा भत्ता (01–06)	अन्य भत्ता (01–07)	योग वेतन	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06–01)	यात्रा व्यय (11–01)	कार्यालय व्यय (13–01)	वाहन का ईंधन एवं रख–रखाव (13–02)	दूरभाष (13–03)	बिजली प्रभार (13–04)	वर्दी/ पोशाक (13–06)	किराया महसूल एवं कर (14–01)	सामग्री एवं पूर्तियाँ (21–01)	दवा भंडार (21–02)	आहार/ पथ्य (21–03)	व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ (28–01)	मशीने एवं उपस्कर (52–01)	कुल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	नालन्दा	4600010	3105000	1012000	0	9200	9200	8735400	30000	0	0	0	0	661500	50000	40000	0	4000000	850000	3100000	0	17466900	3263/29 8 12
2	भोजपुर (आरा)	3200000	2160000	704000	0	6400	6400	6076800	0	0	40000	0	20000	300000	30000	30000	400000	3000000	700000	4000000	500000	15096800	244/13 10 12 2565/30 10 12
3	गया	2800000	1890000	616000	0	5600	5600	5317200	0	0	20000	0	0	50000	10000	0	400000	1000000	400000	3000000	500000	10697200	2976/15 8 12 3240/8 10 12
4	प्रभावती अस्पताल, गया	2800000	1890000	616000	0	5600	5600	5317200	0	0	170000	0	0	340800	40000	0	400000	400000	600000	0	400000	7668000	1709/29 9 12
5	औरंगाबाद	1000000	675000	220000	0	2000	2000	1899000	0	0	40000	6000	0	100000	30000	0	36000	1000000	0	500000	0	3611000	3698/18 10 12
6	सारण (छपरा)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800000	0	0	0	800000	2584/19.10 12
7	सिवान	300000	202500	66000	0	600	600	569700	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	2600000	600000	3869700	27/0-5 10 12/ 17.10.12
8	गोपालगंज	900000	607500	198000	0	1800	1800	1709100	0	0	0	0	0	200000	10000	0	300000	1300000	0	3000000	600000	7119100	2408/3 9 12
9	मुजफ्फरपुर	4000000	2700000	880000	0	8000	8000	7596000	0	0	0	0	0	259200	0	0	0	433000	555000	3000000	0	11843200	2137/17 8 12
10	दरभंगा	1000000	675000	220000	0	2000	2000	1899000	0	0	20000	0	0	0	10000	0	20000	0	400000	3000000	400000	5749000	1990/8 11 12
11	एम.जे.के अस्पताल, मोतिहारी	4800000	3240000	1056000	0	9600	9600	9115200	0	0	0	0	0	0	0	0	89100	1000000	305500	3000000	400000	14109800	7125/12 10 12
12	पश्चिमी चम्पारण (बेतिया)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000000	0	2000000	500000	4500000	4123/13 10 12
13	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	400000	270000	88000	0	800	800	759600	0	0	0	0	0	0	40000	0	400000	4000000	0	0	500000	5699600	687/17.10 12
14	सीतामढ़ी	400000	270000	88000	0	800	800	759600	0	0	0	0	0	0	20000	20000	300000	2000000	0	2500000	300000	5899600	2705/4 9 12
15	कुशेश्वरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000000	0	2589000	0	7589000	2417/29 8 12
16	समस्तीपुर	2400000	1620000	528000	0	4800	4800	4557600	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	2500000	0	3500000	500000	11257600	2126/12 9 12
17	सहरसा	2600000	1755000	572000	0	5200	5200	4937400	0	21900	0	0	0	338800	19000	19000	0	800000	120000	2400000	0	8656100	2428/27 8 12/ 1056/7 9 12 2893/8 10 12
18	मधेपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	15000	100000	10000	0	0	1500000	0	2500000	0	4175000	1312/01 11 12
19	पूर्णियाँ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	5000000	0	0	889000	6189000	4084/15 10 12
20	कटिहार	2000000	1350000	440000	0	4000	4000	3798000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500000	700000	3000000	0	9998000	2500/29 9 12
21	भागलपुर	450000	303750	99000	0	900	900	854550	0	0	75000	100000	8000	200000	5000	40000	0	4000000	0	2000000	0	7282550	2706/21 8 12
22	बेगूसराय	200000	135000	44000	0	400	400	379800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	0	1000000	0	2279800	3480/5 11 12

63(7)06
21-11-12

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01—01)	जीवन यापन भत्ता (01—03)	मकान भत्ता (01—04)	परिवहन भत्ता (01—05)	चिकित्सा भत्ता (01—06)	अन्य भत्ता (01—07)	योग वेतन	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06—01)	यात्रा व्यय (11—01)	कार्यालय व्यय (13—01)	वाहन का ईंधन एवं रख—रखाव (13—02)	दूरभाष (13—03)	विद्युत प्रभार (13—04)	वर्दी / पोषाक (13—06)	किराया महसूल एवं कर (14—01)	सामग्री एवं पूर्तियाँ (21—01)	दवा भंडार (21—02)	आहार / भक्ष्य (21—03)	व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं (28—01)	मशीनें एवं उपस्कर (52—01)	कुल	अनुमति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
23	खगड़िया	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	20000	200000	0	0	2000000	400000	2660000	2406/15.9.12
24	अरवल	350000	236250	77000	0	700	700	664650	0	40000	0	0	0	100000	0	0	0	800000	0	800000	0	2404650	177/19.9.12
25	शिवहर	220000	148500	48400	0	440	440	417780	0	0	20000	0	0	0	15000	0	0	0	400000	1500000	0	2352780	750/6.10.12
26	बक्सर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000000	0	2000000	1697/18.8.12
27	लखीसराय	350000	236250	77000	0	700	700	664650	0	0	20000	0	0	0	15000	0	0	800000	0	2500000	0	3999650	1227/18.9.12
28	बाँका	520000	351000	114400	0	1040	1040	987480	0	0	20000	0	0	100000	16000	0	100000	2000000	462000	1600000	0	5285480	3183/7.9.12
29	अररिया	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1800000	0	1800000	1158/1.9.12
30	जमुई	790000	533250	173800	0	1580	1580	1500210	0	0	25000	0	0	100000	20000	10000	100000	1000000	100000	2200000	0	5055210	1794/29.9.12
31	किशनगंज	700000	472500	154000	0	1400	1400	1329300	0	0	25000	0	0	30000	0	0	0	0	550000	3000000	0	4934300	2015/21.9.12, 2338/31.10.12
32	कैमूर	650000	438750	143000	0	1300	1300	1234350	0	0	25000	0	3000	0	10000	40000	300000	3500000	200000	3500000	500000	9312350	2338/31.10.12 1922/3.11.12
33	पटना	6400000	4320000	1408000	8000	12800	12800	12161600	50000	50000	50000	0	10000	600000	30000	30000	0	0	300000	2100000	0	15381600	7154/21.9.12
34	दरभंगा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	700000	300000	1100000	3173/25.9.12
	कुल	43830000	29585250	9642600	8000	87660	87660	83241170	80000	111900	600000	106000	56000	3480300	420000	249000	3745100	51333000	6842500	70389000	7289000	227942970	

(बाईस करोड़ उन्नासी लाख बेयालीस हजार नौ सौ सत्तर) रु. मात्र

31/11/2012

सरकार के संयुक्त सचिव

63(7)A
21-11-12

उपबंध की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (01–01)	540527000	495627000	43830000	539457000	1070000
2	जीवन यापन भत्ता (01–03)	362153000	331690090	29585250	361275340	877660
3	मकान किराया भत्ता (01–04)	80541000	70047780	9642600	79690380	850620
4	परिवहन भत्ता (01–05)	258000	250000	8000	258000	0
5	चिकित्सा भत्ता (01–06)	5455000	5312989	87660	5400649	54351
6	अन्य भत्ता (01–07)	3783000	3630526	87660	3718186	64814
	योग वेतन एवं भत्तेः–	**992717000**	**906558385**	**83241170**	**989799555**	**2917445**
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06–01)	2500000	0	80000	80000	2420000
8	यात्रा व्यय (11–01)	2530000	1293060	111900	1404960	1125040
9	कार्यालय व्यय (13–01)	2630000	1569080	600000	2169080	460920
10	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (13–02)	3930000	2007900	106000	2113900	1816100
11	दूरभाष (13–03)	780000	435920	56000	491920	288080
12	विद्युत प्रभार (13–04)	32520000	28994120	3480300	32474420	45580
13	विधि प्रभार (13–05)	1000	0	0	0	1000
14	वर्दी / पोषाक (13–06)	997000	550430	420000	970430	26570
15	किराया महसूल एवं कर (14–01)	1810000	1560500	249000	1809500	500
16	सामग्री एव पूर्तियॉ (21–01)	14695000	10417420	3745100	14162520	532480
17	दवा भंडार (21–02)	144000000	91593833	51333000	142926833	1073167
18	आहार / पथ्य (21–03)	60000000	35296800	6842500	42139300	17860700
19	लघु कार्य (27–01)	1000	0	0	0	1000
20	व्यवसायीक एवं विशेष सेवाएँ (28–01)	212832000	141670640	70389000	212059640	772360
21	मशीने एव उपस्कर (52–01)	60000000	37552200	7289000	44841200	15158800
	कुल योगः–	**1531943000**	**1259500288**	**227942970**	**1487443258**	**44499742**

63(7)ब
21-11-12

सरकार के संयुक्त सचिव